"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2002—आषाढ़ 27, शक 1924

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2002

संकल्प

क्रमांक एफ-5-1/साप्रवि/2002/9-1.—अंतर्राज्यीय सिविल सेवा टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का चयन करने की दृष्टि से राज्य शासन छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल का निम्नानुसार गठन करता है :—

छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल का विधान

1. **नाम**—यह मंडल "छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल" कहलाएगा.

2. **परिभाषाएं**—
   (क) "मंडल" से अभिप्रेत होगा, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल.
   (ख) "शासन" से अभिप्रेत होगा छत्तीसगढ़ शासन.
   (ग) "राज्य" से अभिप्रेत होगा छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **मुख्यालय**—मंडल का अपना मुख्यालय रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर में होगा.

4. **मंडल का गठन**—मंडल का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :—

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,	पदेन अध्यक्ष
(2)	उप सचिव/संचालक, प्रभारी, शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन,	पदेन सचिव
(3)	निम्नलिखित विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि,	
	(एक) वित्त, वाणिज्यकर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,	सदस्य
	(दो) उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,	सदस्य
	(तीन) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,	सदस्य
	(चार) महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग,	सदस्य
	(पांच) श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग,	सदस्य
(4)	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, या उनके प्रतिनिधि,	सदस्य
(5)	संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग,	सदस्य
(6)	पांच नाम-निर्दिष्ट सदस्य, जो या तो प्रख्यात खिलाड़ी हों या खेलखूद में रुचि रखते हों,	5 सदस्य
(7)	ऐसी टीम का प्रबंधक/केप्टेन/सचिव जिसने गत वर्ष आयोजित टूर्नामेंटों में भाग लिया हो, जो रायपुर में हो.	एक सदस्य

5. **मंडल की सदस्यता अवधि**—मंडल के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्य ऐसी अवधि के लिए अपना पद धारण करेंगे, जो राज्य शासन द्वारा नियत की जाए.

6. **लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य**—मंडल के निम्नलिखित लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य होंगे :—

(क) संपूर्ण राज्य में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की क्रीड़ा-गतिविधियों को प्रोत्साहित, विकसित तथा नियंत्रित करना,

(ख) शासकीय कर्मचारियों में खिलाड़ी भावनाओं को प्रोत्साहित करना, तथा उन्हें क्रीड़ा क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्रदान करना,

(ग) राज्य स्तरीय तथा अखिल भारतीय टूर्नामेंटों, खेलखूद प्रतियोगितायें, प्रदर्शन मैच आयोजित करना तथा परीक्षण स्पर्धायें आयोजित करना,

(घ) समय-समय पर मंडल द्वारा निश्चित किये गये अनुसार विभिन्न अखिल भारतीय टूर्नामेंटों तथा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य की टीमों को प्रवेश दिलाना,

(ङ) राज्य की सिविल सेवा टीमों में शौकिया खेलकूद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना तथा उसे निरापद करना,

(च) मंडल द्वारा नियंत्रित क्रीड़ाओं तथा खेलकूद के क्षेत्र में नवीन प्रतिभा की खोज करना और उन्हें प्रोत्साहित करना,

(छ) शासकीय कर्मचारियों के खेलकूद के स्तर को सुधारने के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं/शिविर आयोजित करना,

(ज) क्रीड़ा मैदानों के सुधार तथा निर्माण में सहायता करना,

(झ) मंडल द्वारा नियंत्रित क्रीड़ाओं तथा खेलकूद के विकास के लिए राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय क्रीड़ा संघों तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं तथा संघों को संबद्ध करना तथा उनसे संबद्ध रहना. इस दिशा में खेल-युवा कल्याण विभाग से परामर्श प्राप्त करना,

(ञ) अभ्यास, आयोजन तथा किट और उपकरणों की खरीद के लिए समितियों/क्लबों को समतुल्य अंशदान देना.

7. **समितियां**—मंडल खेलों के आयोजन, नियंत्रण और संचालन के संबंध में जैसे और जब आवश्यक हो, प्रशासनिक और तकनीकी सलाह के लिए, समितियां गठित करेगा.

8. **मंडल की निधियां**—मंडल की निधियों में राज्य शासन से प्राप्त सभी अनुदान तथा अन्य किसी भी स्रोत से अनुदान, अंशदान, फीस तथा अन्य खर्च के रूप में प्राप्त सभी रकमें शामिल होंगी.

9. **लेखा परीक्षा**—मंडल की लेखाओं की लेखा परीक्षा महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा की जायेगी.

10. **मंडल की शक्तियां**—मंडल एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा, तथा टीमें अथवा खिलाड़ियों का चयन अथवा किन्हीं भी टूर्नामेंटों/मैचों में भाग लेने या आयोजित करने से संबंधित सभी मामलों में साधारण बहुमत द्वारा निर्णय ले सकेगा. मंडल को किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य शासन से प्राप्त आवंटन सीमा में व्यय करने की शक्ति प्राप्त होगी. मंडल को राज्य शासन के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों में से व्यय करने की पूरी-पूरी शक्ति प्राप्त होगी.

11. **शक्तियों का प्रत्यायोजन**—मंडल अपने अध्यक्ष, सचिव अथवा उसके किसी भी सदस्य को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह विहित करें, अपनी वित्तीय तथा कार्यपालक दोनों ही प्रकार की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा.

12. **नियम बनाने की शक्तियां**—पूर्ववर्ती किन्हीं भी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मंडल को अपने उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होगी.

13. **विधान में संशोधन**—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल के विधान में आवश्यक होने पर स्वप्रेरणा से संशोधन कर सकेगा, मंडल अपने दो तिहाई सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही विधान में कोई संशोधन प्रस्तावित कर सकेगा.

आदेश

आदेश दिया जाता है यह संकल्प छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया जाये और उसकी प्रतियां शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों और कलेक्टरों को भेजी जाये.

Raipur the, 18th July 2002

RESOLUTION

No. F-5-1/GAD/2002/9-1.—The Government of Chhattisgarh hereby constitutes a Civil Services Sports Board with a view to select the players to take part in Interstate Civil Services Tournaments :—

CONSTITUTION OF THE CHHATTISGARH CIVIL SERVICE SPORTS BOARD

1. **Name**—This Board shall be called **"The Chhattisgarh Civil Services Sports Board."**

2. **Definitions**—
   (a) "Board" shall mean Chhattisgarh Civil Services Sports Board.
   (b) "Government" shall mean Government of Chhattisgarh.
   (c) "State" shall mean State of Chhattisgarh.

3. **Headquarters**—The Board shall have its Headquarters at Raipur in the General Administration Department, D.K.S. Bhavan, Raipur.

4. **Constitution of the Board**—The Board shall be constituted as follows—

(1)	Principal Secretary/Secretary, General Admn. Department	Chairman-Ex-officio
(2)	Deputy Secretary/Director, Incharge Govt. Employees Welfare Organisation	Secretary Ex-officio
(3)	Secretary of the following departments or their representatives :	
	(i) Finance, Commercial tax, Planning, Economics and Statistics Department,	Member
	(ii) Higher Education, Tech. Education, School Education, Science & Technology Department ,	Member
	(iii) Panchayat and Rural Department,	Member
	(iv) Women and Child Development, Social Welfare Department,	Member
	(v) Labour, Sports & Youth Welfare Department,	Member
(4)	Director General of Police, Chhattisgarh or their representative,	Member
(5)	Director Sports and Youth Welfare Department,	Member
(6)	Five nominated members who are either destinguished players or who take interest in sports.	Five Member
(7)	Manager/Captain/Secretary of the team who participated in the previous year's tournament stationed at Raipur.	One Member

5. **Duration of the period of the member ship of the Board**—The President Secretary and member of the board shall hold office for such duration as may be fixed by the State Government.

6. **Aims, Objects and Functions**—The following shall be the aims, objects and functions of the Board :—
   (a) To encourage, promote and control the sports activities of Government employee working throughout the state;
   (b) To foster spirit of sportsmanship among the Government employees and to provide them with an apportunity to meet in the field of sport;
   (c) To institute and organise state level and All-India tournaments/sports meet/exhibition matches and trials;
   (d) To organise the representation of the state team for the participation in various All India tournaments and sports meets as may be decided by the Board from time to time;
   (e) To promote and ensure amateur sportsmanship in the State Civil Services teams;
   (f) To discover and encourage new talent in the filed of sports and games controlled by the Board;
   (g) To organise coaching classes/camp to improve the standard of sport of Government Employees;
   (h) To assist in the improvement and construction of play ground;
   (i) To affiliate and be affiliated to State level and national sports federation and other approved institutions and associations for the promotion of sports and games controlled by the Board. To consult sports and youth welfare department in this aspect;
   (j) To give matching contribution to committees/clubs for organising practice and purchase of kit and equipments.

7. **Committees**—The Board shall form Committees as and when required for administrative and technical advice concerning organization, control and conduct of the games.

8. **Funds of the Board**—The funds of the board shall consist of all grants received from the State Government and all money received from any other source by way of grants, contribution, fees or any other charges.

9. **Audit**—The audit of the account of the Board shall be carried out by the Accountant General, Chhattisgarh.

10. **Power of the Board**—The Board shall function as an independent body and may take decisions by ordinary majority of votes in all matters pertaining to selection of teams or players or participating or organising any tournaments/ matches.

The Board shall have full power to incur expenditure within the allotment received from the state Government for any particular purpose. The Board shall have full power to incur expenditure out of funds received from sources other than the state Government.

11. **Delegation of Power**—The Board may delegate its powers both financial and executive, to its President, Secretary or any of its members to such extent and subject to such conditions as it may prescribe.

12. **Power to make Rules**—Without prejudice to any of the foregoing provisions and with prior approval of the State Government, the Board shall have power to make rules for the furtherance of its objects and functions.

13. **Amendment of Constitution**—The State Government may, on its own motion, effect an amendment considered necessary in the Constitution of the Chhattisgarh Civil Services Sports Board. The Board may propose an amendment to the constitution, if any, after it is approved by two third members of the Board.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Chhattisgarh Gazette (Extraordinary) and copies thereof be sent to all Departments of Government, all head of the departments, all Commissioner and all Collectors.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.